

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.07.2026

माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2116/एसएलएसए-68/25 (शुभ/कुलदीप) दिनांकित 08.07.2026 के अनुपालन में जनपद कौशाम्बी में Community Mediator का चयन किया जाना प्रस्तावित है। एतद् द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि धारा 43(5) मीडिएशन एक्ट, 2023 के अनुसार निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति Community Mediator के रूप में शामिल किये जा सकते हैं—

1. समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हो
2. कोई भी स्थानीय व्यक्ति जिसका समाज में योगदान मान्यता प्राप्त हो
3. क्षेत्रीय या निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधि हो
4. मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो
5. कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए
6. आवेदक की आयु 55 वर्ष से अधिक हो

पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2026 को समय 04:00 बजे तक कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी में प्राप्त करायें। एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि Community Mediator के चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 31.07.2026 को अपरान्ह समय 04:00 बजे से नियत किया गया है।

आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षणिक एवं अनुभव प्रपत्रों के साथ समय अपरान्ह 04:00 बजे कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी में साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहे।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कौशाम्बी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी

सामुदायिक मध्यस्थ हेतु आवेदन पत्र

नाम :

पिता का नाम :

स्थायी पता:

जन्म तिथि :

योग्यता :

अनुभव :

मोबाइल नम्बर :



हस्ताक्षर